Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 31/2019

Smt. Pratibha Kumari ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–1383 दिनांक–28.09.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी को सुना। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विभागीय पत्रांक–1846 दिनांक–10.06.2010 के आलोक में अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजित करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया। ये अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करती रही एवं समय–समय पर इनका सेवा विस्तार किया जाता रहा। जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक–18.09.2019 को चयन समिति की बैठक में प्रस्ताव सं0–03 में निर्णय लिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरगंज ने पत्रांक–64 दिनांक–15.03.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक–09.08.2017 को मातृत्व अवकाश का आवेदन दिया गया था। इसके बाद उनके द्वारा कोई आवेदन कार्यालय को नहीं दिया गया। दूरभाष पर संपर्क करने पर कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया जाता रहा। बल्कि त्यागपत्र दिये जाने की बात कही जाती रही। उनके द्वारा न तो त्यागपत्र दिया गया और न ही योगदान किया गया है। पुनः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरगंज ने पत्रांक–146 दिनांक–02.06.2018 द्वारा सूचित किया कि अपीलार्थी अबतक अनुपस्थित है। उन्होंने पत्रांक–106 दिनांक–16.04.2018 एवं पत्रांक–138 दिनांक–23.05.2018 द्वारा उन्हें योगदान हेतु सूचना दी गई। किन्तु उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। फलतः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में अपीलार्थी को दिनांक–10.08.2017 से महिला पर्यवेक्षिका के पद से सेवामुक्त करने का निर्णय लिया गया। इनको आगे कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी दिनांक–09.08.2017 से मातृत्व अवकाश पर गई एवं दिनांक–15.08.2017 को शल्य चिकित्सा द्वारा इन्हें पुत्र पैदा हुआ जो किसी अन्य कारण से जीवित नहीं रह सका, जिस कारण ये	

Web Copy Not Official.

		परेशान एवं अस्वस्थ रहने लगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कभी भी इन्हें दूरभाष से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और अपीलार्थी से किसी प्रकार का कारण–पृच्छा किये बिना इन्हें सेवा से मुक्त किया जाना न सिर्फ क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	विधि विरूद्ध है बल्कि नैसर्गिक न्याय के भी प्रतिकूल है। इनके द्वारा दिनांक–06.11.2019 को अपने पद पर योगदान हेतु आवेदन समर्पित किया गया जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशगनंज द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाई गई। अपीलार्थी निर्दोष है और कार्यालय से अनुपस्थित रहने के पीछे इनकी कोई गलत मंशा नहीं रही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशगनंज ने पत्रांक–718 दिनांक–26.04.2022 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी दिनांक–09.08.2017 से मातृत्व अवकाश का आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरगंज को देकर अवकाश में चली गई। अपीलार्थी को अपने कार्य पर लौटने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरगंज द्वारा पत्रांक–106 दिनांक–16.04.2018 एवं पत्रांक–138 दिनांक–23.05.2018 द्वारा योगदान करने हेतु सूचना निर्गत की गई। इनकी लंबी अनुपस्थिति के आलोक में पत्रांक–56 दिनांक–07.03.2019 द्वारा अपीलार्थी को चयनमुक्ति करने की अनुशंसा की गई। दिनांक–19.03.2018 को चयन समिति की बैठक में सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत अपीलार्थी के चयनमुक्ति का निर्णय लिया गया। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी, किशनगंज के निदेश के उपरांत भी तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपीलार्थी के संबंध में कोई पत्राचार कर वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं ली गई और ना ही श्रीमति प्रतिभा सिन्हा का पक्ष सुना गया। चयन समिति के निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1383 दिनांक–28.09.2019 द्वारा अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षिका के पद से सेवामुक्त कर दिया गया। आयुक्त कार्यालय के पत्रांक–715 दिनांक–16.03.2022 द्वारा माँगे गये मंतव्य प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय पत्रांक–701 दिनांक–22.04.2022 द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। अपीलार्थी दिनांक–25.04.2022 को अपना पक्ष समर्पित करते हुए अंकित किया कि मातृत्व अवकाश रहने, दो संतानों की मृत्यु हो जाने एवं अत्यधिक अस्वस्थ रहने के कारण अपना योगदान नहीं कर सकी जिसका लिखित सूचना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी समर्पित किया गया था। उन्होंने ये भी प्रतिवेदित किया है कि बाल विकास परियोजना एवं जिला स्तर से उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। चयनमुक्ति आदेश के पूर्व तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशगनंज द्वारा संबंधित महिला पर्यवेक्षिका का पक्ष लिया जाना नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत आता है।	

Web Copy. Not Official.

		उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक–09.08.2017 से मातृत्व अवकाश आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरगंज को समर्पित करते हुए लंबी अनुपस्थिति में रहने के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरगंज द्वारा उन्हें योगदान करने हेतु लिखित एवं मौखिक/दूरभाष पर निदेश दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी की ओर से कोई साकारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं क्रमशः
	लगातार 29.09.2023	होने के कारण इनकी चयनमुक्ति की अनुशंसा की गई। अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक–15.08.2017 को शल्य चिकित्सा द्वारा इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जो किसी अन्य कारण से जीवित नहीं रह सका। फलतः ये मानसिक एवं शारीरिक रूप से टूट गई जो व्यवहारिक तौर पर सही प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी की चयनमुक्ति के पूर्व इन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही इनसे किसी प्रकार की कारणपृच्छा की हीं माँग की गई, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशगनंज ने भी अपने मंतव्य में इसकी पुष्टि की है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाकर इसे निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले को सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी एवं अन्य संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में नियोजन की शर्त्तों के निरूपित प्रावधानों के आलोक में समुचित मुखर आदेश पारित करेंगे। अपीलार्थी को सख्त निदेश दिया जाता है कि मामले के निष्पादन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशगनंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.